

दिनांक: 12.04.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी एवं अभियुक्त विजय सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फरस्वाण न्यायालय में उपस्थित हैं।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 24.04.2024 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमौली।